

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 231/2017 वाद

लालाराम जटिया व अन्य

// बनाम //

देउ जटिया व अन्य

दावा धारा 53,88,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 28.06.2019

वकील वादी के आवेदन पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होंने वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के बीच राजीनामा हो चुका है। इसलिए वादी इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। तथा इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज करना चाहते हैं। वकील वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

